



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-14032022-234188
CG-DL-E-14032022-234188

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 71]

नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 14, 2022/फाल्गुन 23, 1943

No. 71]

NEW DELHI, MONDAY, MARCH 14, 2022/PHALGUNA 23, 1943

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 14 मार्च, 2022

सं. 49/2015-2020

विषय: उदगम प्रमाण पत्र (गैर-तरजीही) जारी करने हेतु प्राधिकृत, विदेश व्यापार नीति, 2015-20 के परिशिष्ट-2ड. के तहत एजेंसी को सूचीबद्ध करने के संबंध में।

फा. सं. 01/93/180/01/एम-20/पी.सी.II(बी)/खण्ड.1/ई-23274.—विदेश व्यापार नीति, 2015-2020 के पैरा 2.04 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महानिदेशक विदेश व्यापार एतद्वारा निम्नलिखित एजेंसी को उदगम प्रमाण पत्र (गैर-तरजीही) जारी करने हेतु प्राधिकृत करते हैं:

मेवाड़ चेम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इन्डस्ट्री,

मेवाड़ चेम्बर भवन,

नागोरी गार्डन,

भीलवाडा-311001 (राजस्थान)

दूरभाष - फैक्स 01482 - 220908, 238948

ई-मेल: mcci@mccibhilwara.com,

वेबसाइट: www.mccibhilwara.com

2. तदनुसार, मेवाड़ चेम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इन्डस्ट्री का नाम एफटीपी (2015–20) के परिशिष्ट एवं आयात निर्यात प्रपत्र के परिशिष्ट 2ड. [उद्गम प्रमाण पत्र (गैर-तरजीही) जारी करने हेतु प्राधिकृत एजेंसियों की सूची] की क्रम सं. 6 (राजस्थान) पर जोड़ा जाता है।

3. **इस सार्वजनिक सूचना का प्रभाव:**

विदेश व्यापार नीति (2015–2020) के परिशिष्ट 2ड. के तहत मेवाड़ चेम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इन्डस्ट्री को उद्गम प्रमाण पत्र (गैर-तरजीही) जारी करने हेतु सूचीबद्ध किया गया है।

संतोष कुमार सांरंगी, महानिदेशक विदेश व्यापार
एवं पदेन अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

PUBLIC NOTICE

New Delhi, the 14th March, 2022

No. 49/2015-2020

Subject : Enlistment of Agency under Appendix 2E of FTP, 2015-2020-authorized to issue Certificate of Origin (Non-Preferential) – reg.

F. No. 01/93/180/01/AM-20/PC.II(B)/Part.1/E-23274.—In exercise of powers conferred under paragraph 2.04 of the Foreign Trade Policy 2015-2020, the Director General of Foreign Trade hereby authorizes following agency to issue Certificate of Origin (Non Preferential):

Mewar Chamber of Commerce & Industry

Mewar Chamber Bhawan,

Nagori Garden,

Bhilwara 311 001 (Rajasthan)

Tele - Fax - 01482 - 220908, 238948

E-mail : mcci@mccibhilwara.com,

Website : www.mccibhilwara.com

2. Accordingly, the name of Mewar Chamber of Commerce & Industry is added at Serial No. 6 (Rajasthan) of Appendix 2E [List of Agencies Authorized to issue Certificate of Origin (Non-Preferential)] to Appendices & Aayat Niryat Forms of FTP (2015-2020).

3. **Effect of this Public Notice:**

Mewar Chamber of Commerce & Industry, Rajasthan is enlisted under Appendix 2E of FTP, 2015-2020 for issuing Certificate of Origin (Non Preferential).

SANTOSH KUMAR SARANGI, Director General of Foreign Trade
& Ex-officio Addl. Secy.